

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश शासन  
सतपुड़ा भवन भोपाल-462004

क्रमांक- 1525 / 212 / आउशि / बजट / 18  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 30/7/2018

प्राचार्य,  
शासकीय महाविद्यालय,  
(नीचे दर्शाये अनुसार), मध्यप्रदेश

विषय- फर्नीचर/कार्यालय उपकरण मद अन्तर्गत बजट आवंटन 2018-19

उपरोक्त विषय में निम्नलिखित शासकीय महाविद्यालयों को फर्नीचर हेतु उनकी मांग के परिप्रेक्ष्य में उपलब्ध बजट के आधार पर आनुपातिक रूप से उनके समक्ष अंकित अनुसार बजट आवंटन जारी किया जाता है :-

क्र.	महाविद्यालय का नाम	पत्र क्र. एवं दिनांक	आवंटित राशि
1	शा.कन्या महावि.पिपरिया जिला होशंगाबाद	281 / 16.7.18	150000
2	शा.श्याम सुन्दर नारायण मुशरान महिला महावि. नरसिंहपुर	141 / 4.7.18	100000
3	शा.महावि.जयसिंहनगर जिला शहडोल	343 / 9.7.18	150000
4	शा.महावि.गाडरवारा जिला नरसिंहपुर	606 / 6.7.18	200000
5	शा.कस्तूरबा कन्या महावि.गुना	216 / 23.6.18	16520
6	शा.महावि.कोलारस जिला शिवपुरी	373 / 16.7.18	200000
7	शा.संस्कृत महावि.इंदौर (योजना क्र.6066)	304 / 30.06.18	108000
	कुल योग		924520

(2) उक्त राशि का आहरण/उपयोग वित्तीय वर्ष 2018-19 अन्तर्गत निम्नलिखित बजट शीर्ष 44-2202-03-103-0798-0101-22-003 फर्नीचर मद में विकलनीय होगा। शासकीय संस्कृत महाविद्यालय इंदौर को आवंटित राशि का आहरण बजट शीर्ष 44-2202-05-103-6066-0101-22-003 के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

(3) मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग द्वारा जारी अद्यतन निर्देशों एवं म.प्र. भण्डार क्रय तथा सेवा उपार्जन नियम 2015 के नियमों का पालन सुनिश्चित किया जावे।

(4) सामग्री का क्रय एवं राशि का व्यय/भुगतान प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत, अद्यतन म0प्र0 भण्डार क्रय तथा सेवा उपार्जन नियम 2015 का पालन सुनिश्चित किया जावे।

(5) क्रय सामग्री एवं व्यय राशि का विधिवत अभिलेख संधारण किया जावे एवं गुणवत्ता आदि का परीक्षण कर प्रमाण पत्र अंकित किया जावे तथा उपयोग की गई राशि का पूर्ण विवरण सहित उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये।

(6) मितव्ययता का ध्यान रखें एवं किसी भी मद में अनावश्यक व्यय नहीं किया जावे।

(7) किसी भी स्थिति में आवंटित राशि से अधिक व्यय नहीं किया जाए।

(8) किसी भी प्रकार के अनियमित व्यय/भुगतान की जिम्मेदारी संबंधित प्राचार्य की होगी।


“आयुक्त उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित”

अपर संचालक (वित्त)  
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

पृ०क०-1576 /212/आउशि/बजट/18  
प्रतिलिपि-

भोपाल, दिनांक-30/11/2018

1. विशेष सहायक मा.मंत्रीजी/राज्यमंत्रीजी मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल
  2. महालेखाकार मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
  3. संबंधित क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश।
  4. उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल
  5. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, योजना शाखा, कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा, भोपाल
  6. संबंधित कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश।
- .....की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

  
अपर संचालक (वित्त)  
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश